जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू

पलामू समाहरणालय परिसर (सी) ब्लॉक, मेदिनीनगर- 822101 ई-मेल:- palamau.mdm@gmail.com

प्रपत्र-2

पत्रांक 240/

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
पलामू।

सेवा में,

प्राचार्य,
ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल,
न्यू टाउनशीप, शाहपुर, चैनपुर, पलामू।

मेदिनीनगर, दिनांक- 31/01/2020

विषयः- **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।**

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक 24.09.2019 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुये पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर **ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, न्यू टाउनशीप, शाहपुर, चैनपुर, पलामू** को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षा 01 से 08 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की ससूचना दी जाती है।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधो के तहत् प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।

7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :-

1) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक दण्ड नहीं दिया जाएगा।

3) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशुक्तता ग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

4) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहत्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा और टेट परीक्षा सभी अध्यापकों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पांच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम् अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे।

5) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और

6) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाएं रखेगा।

10. विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 3.5 एकड़
2) कुल निर्मित क्षेत्र - 6500 वर्ग मीटर
3) क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - 7500 वर्ग मीटर
4) कक्षाओं की संख्या - 17
5) प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष - 03
6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - हाँ
7) पेयजल सुविधा - हाँ
8) मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)
9) बाधारहित पहुंच - हाँ
10) अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता- हाँ

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेश/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य

सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

17. चाहरदिवारी, सी0सी0टी0वी0, रनिंग वाटर, वाटर हार्वेस्टंग, अग्निशमन एवं तड़ित चालक होना चाहिए।

18. आर.टी.ई. के मानक के अनुरूप प्राथमिक कक्षा के लिए न्यूनतम इंटर व समतुल्य योग्यता के साथ दो वर्षीय डी.एल.ई.डी./समतुल्य प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। Teacher eligibiligy test अनिवार्य है। शिक्षक अहर्ता के संबंध में राज्य सरकार/ NCTE द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक प्रभावी होंगे।

कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए न्यूनतम स्नातक व समतुल्य के साथ बी0एड0 समतुल्य डिग्री प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। Teacher eligibiligy test अनिवार्य है। शिक्षक अहर्ता के संबंध में राज्य सरकार/ NCTE द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक प्रभावी होंगे।

19. राष्ट्रीय शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित learning outcome के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना अनिवार्य होगा एवं राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित की जानेवाली वर्ग 8 की परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक इत्यादि का पालन करना होगा।

20. RTE नियमावली के अनुसार सभी विद्यालयों के लिए कम से कम सात सदस्यों का एक अलग प्रबन्ध समिति का गठित होना अनिवार्य है। प्रबंध समिति में शिक्षक एवं अभिभावक प्रतिनिधि होना आवश्यक है।

शुल्क एवं अन्य प्रभार की दर :

वर्ग	शिक्षण शुल्क	पंजीयन शुल्क	नामांकन शुल्क	सुरक्षित जमा	वार्षिक प्रभार	विकास शुल्क	अन्य प्रभार	योग

21. नामांकन प्रास्थिति

छात्र : शिक्षक अनुपात :

क) प्राथमिक विद्यालय :

1) यदि 120 से कम छात्र हो तो 30 छात्र पर एक शिक्षक।
2) यदि 121 से अधिक एवं 200 के मध्य हो तो कम से कम पाँच शिक्षक।
3) 200 से अधिक छात्र संख्या होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक न हो।

ख) मध्य विद्यालय : वर्ग 6 से 8 के लिये 35 छात्र पर एक शिक्षक।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक DSE/01/2020 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाये।

विश्वासभाजन

31/01/2020

जिला शिक्षा अधीक्षक

पलामू

31.1.2020